पत्रांक – 47 दिनांक – 19.1.2022
सेवा में, शाखा प्रबंधक, केनरा बैंक, देवघर

अनुसूची २१—प्रपत्र सं० ३१३ ।

संपत्ति - अबभार - प्रमाण - पत्र

प्रमाणक सं० – – 18 – /2022 आवेदन सं० [illegible] 8/1/2022

चूंकि श्री (For Thakur Premnath Singh & Raj nath Singh) ने मेरे पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित संव्यवहारों और अबभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये ।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अबभारों के बारे में बही १ मे और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 01.01.1992 से ता० आज 13.1.2022 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अबभारों और अबभारों का पता चला :—

अबभार से मुक्त

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम: निष्पादन	पक्षों का नाम: दावेदार	दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निदेश: जिल्द संख्या	वर्ष	पृ०
१	२	३	४	५	६	७	८	९
1.	मौजा – नीलकंठपुर थाना नं० – 415 खाता नं० – 56 T.P.P. नं० – 24/4 होल्डिंग नं० – 008000456000A1 वार्ड नं० – 22 रकबा – 1 बीघा							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।
(ख) १ बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बश कि इनके बारे में उल्लेख हो ।
२ पट्टे की दशा में पट की अवधि और लगान दर्ज करें ।

VINDHYAVASINI CONSTRUCTIONS
Kaushalesh Ranjan
Partner

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावग्र करनेवाले, किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :—

(हस्ताक्षर) :—

(पदनाम) :— लिपिक

तलाशी की सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :— A-K. Chaudhary

(पदनाम) :- Leetoik

कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय देवघर

तारीख

जिला अवर निबंधक देवघर का मुहर

सत्यमेव जयते

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

12.1.2022

टिप्पणी (१)–इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है, वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है । यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसा दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे ।

(२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हे विनिदिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरुरत हो उन्हे तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी ।

(क) किन्तु चुँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षीत तलाशी अपने भरकस सावधानी से की है । फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा ।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले से आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूढे गये गये संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र मे दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो ।

VINDHYAVASINI CONSTRUCTIONS

Kaushalesh Ranjan

Partner